-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चेन स्नेचिंग व टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाली 02 अभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्ताओं के कब्जे से चोरी के 5.910 ग्राम पीली धातु के टंच व लगभग 03 हजार 770 रुपए बरामद।**
- **नवरात्र त्यौहार में महिला श्रद्धालूओं की बाजार व मंदिरों में आवागमन का फायदा उठाकर टप्पेबाजी व चेन निकालने जैसी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थी।**
- **अभियुक्ताओं द्वारा दिनांक 12.10.2026 को थाना कोतवाली नगर के कालुकआं मे ई-रिक्शा मे बैठी महिला के गले से चेन खींच कर चोरी/टप्पेबाजी की घटना को दिया गया था अंजाम।**
- **अभियुक्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी चोरी/टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है जिनके सम्बन्ध में जांच कर आपराधिक इतिहास के बारे में की जा रही है जानकारी।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा चोरी, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.06.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चेन स्नेचिंग व टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने वाली 02 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि दिनांक 16.10.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के गंगानगर निवासी सतरूपा पत्नी कमलाकान्त द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 12.10.2026 को 02 अज्ञात ई-रिक्शा में सवार दो महिलाओं द्वारा उनका ध्यान भटकाकर गले से चेन चोरी कर ली गई थी। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्ताओं को जनपद बांदा में छोटा बाईपास स्थित शेखर की बगिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। कड़ाई से पूछताछ करने गिरफ्तार अभियुक्ताओं द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह भीड़-भाड़ वाले इलाकों में चोरी/टप्पेबाजी/चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देती है। साथ ही नवरात्र त्यौहार में महिला श्रद्धालूओं की बाजार व मंदिरों में आवागमन का फायदा उठाकर टप्पेबाजी व चेन निकालने जैसी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थी। इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है कि इनके गिरोह में और कितने लोग सम्मलित हैं तथा इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जा रही है। अभियुक्ताओं के कब्जे से चोरी का माल तथा 03 हजार 770 रुपए नकद बरामद हुए।

बरामदगी-

- 01 टंच माल 5.910 ग्राम (पीली धातु)
- 03 हजार 770 रुपए नगद

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. मालती उर्फ मन्ती पत्नी खदेरू निवासी भटवलिया थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।
2. बिन्दू पत्नी बधेदू निवासी भटवलिया थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 521/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 कोतवाली नगर श्री बलराम सिंह
2. उ0नि0 श्री सोनू त्यागी
3. उ0नि0 श्री आकाश शुक्ला
4. म0उ0नि0 सुश्री रश्मि सिंह
5. कां0 सौरभ यादव
6. कां0 प्रशांत कुमार
7. कां0 प्रशांत कुमार
8. म0कां0 रेनू